राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ.4(57)वित्त 1(1) आय–व्ययक/2015 जयपुर, दिनांक 08 अप्रेल, 2025

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष

विषय :– व्यय एवं प्राप्तियों का ORS Module पर ऑनलाइन अंकमिलान की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक रिपोर्ट (एएडी)/2(1175)/2024–25/3352 दिनांक 28.03.2025।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ने प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि माह दिसम्बर, 2024 से ई–मेल के माध्यम से प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़े प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बंद करने के बाद माह फरवरी 2025 का लेखा बन्द होने के एक सप्ताह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद ORS Module पर ऑनलाइन अंकमिलान निर्धारित समय सारणी अनुसार नहीं किया जा रहा है, केवल 69 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अंकमिलान का कार्य किया गया है।

वित्त (बजट) विभाग के पत्र दिनांक 28.02.2024 द्वारा अंक मिलान कराये जाने हेतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य (Online Reconcilation through IFMS) में समय सारणी निर्धारित करते हुए एवं पत्र दिनांक 03.02.2025 द्वारा ORS Module पर समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्धारित समय में ऑनलाइन अंकमिलान करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों /बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणाधीन व्यय तथा प्राप्तियों से संबंधित समस्त बजट मदों का अंकमिलान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा https://ors.rajasthan. gov.in पर उपलब्ध करवाये गये आंकड़ों से निर्धारित समय सारणी तथा वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.05.2022 द्वारा ऑनलाईन अंकमिलान (Online Reconcilation) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

7/4/25

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव को अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित कराने के अनुरोध के साथ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in